न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 17/2020

प्रार्थना पत्र दायरी दिनांक : 04.03.2020

निर्णय दिनांक : 11/01/2021

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मौजमाबाद जिला जयपुर।

–– प्रार्थी

बनाम

1. कमलेश कुमार पुत्र नच्छुराम जाति योगी निवासी सोराणों की ढाणी, रामपुरा डाबरी, तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. मनोज कुमार योगी पुत्र रामनिवास योगी जाति योगी निवाासी 201, विजयलक्ष्मी टावर, जयपुर।
3. धर्मपाल योगी पुत्र पुत्र रामनिवास योगी जाति योगी निवाासी 201, विजयलक्ष्मी टावर, जयपुर।
4. मुकेश कुमार योगी पुत्र गणपत राम योगी जाति योगी निवासी डी–23, विज्ञान नगर विस्तार, जयपुर।

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति **पैरोकार सरकार**

प्रार्थी

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

निर्णय दिनांक 11/01/2021

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 36 के आराजी खसरा नम्बर 632 रकबा 3.7200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 635 रकबा 0.5200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 636 रकबा

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

0.3200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 650 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2382/634 रकबा 0.4000 हैक्टेयर वाके ग्राम महलां तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर जो कि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि को मौके पर अकृषि प्रयोजनार्थ आवासीय कॉलोनी प्रयोग में लिया हुआ है। जिसका विधिवत कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण की कार्यवाही अप्रार्थीगण द्वारा नही करायी गयी है। कृषि भूमि का विधिवत रूपान्तरण करवाये अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग कर लिया गया है। जिससे खातेदारी शर्तो का उल्लघंन हुआ है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विवादित आराजी जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 36 के आराजी खसरा नम्बर 632 रकबा 3.7200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 635 रकबा 0.5200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 636 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 650 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2382/634 रकबा 0.4000 हैक्टेयर वाके ग्राम महलां तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत सिवायचक सरकारी घोषित किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर जाकर तलबी अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 जारी की गयी। दिनांक 14/12/2020 को अप्रार्थी संख्या 01 स्वयं उपस्थित। प्रार्थना–पत्र बाबत पैरवी जवाब प्रस्तुत किये जाने हेतु समय दिये जाने पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को आगामी तारीख पेशी तक जवाब प्रस्तुत किये जाने का समय दिया गया। दिनांक 08/01/2021 को अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 की रजिस्टर्ड ए0डी0 रसीदे प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गयी। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 बावजूद रजिस्टर्ड ए0डी0 तामील उपस्थित नही होने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किये जाने अवसर चाहा। न्यायहित मे अंतिम अवसर दिया गया। दिनांक 11/01/2021 को अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित नही। अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा बहस करना जाहिर किया। पैराकार सरकार की एकपक्षीय बहस का सुना गया।

हमने पैराकार सरकार की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, जमाबन्दी सम्वत 2074–2077, पटवारी पटवार हल्का महलां फर्द मौका दिनांक 27.05.2019, नक्शा ट्रेस, पटवारी हल्का

महलां शपथ पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि विवादित आराजीयात अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजीयात में बिना किसी प्रकार का रूपान्तरण करवाये हुये उक्त कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ आवासीय कॉलोनी प्रयोग में लिया जा रहा है। जो कि खातेदारी शर्तो का उल्लघंन है। चुंकि किसी भी कृषि भूमि का प्रयोग मात्र कृषि कार्य प्रयोजनार्थ की उपयोग में लाया जा सकता है। अन्य किसी कार्य में नही। कृषि भूमि को अन्य कार्यो में प्रयोजनार्थ लाये जाने हेतु विधिवत रूप से रूपान्तरण करवाया जाकर ही अन्य प्रयोजनार्थ कार्य में लिया जा सकता है, परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा ना किया जाकर प्रश्नगत कृषि आराजी को बिना किसी रूपान्तरण स्वीकृति के अकृषि कार्य में लाया जा रहा है, जो कि पटवारी हल्का फर्द मौका से साबित होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खाता संख्या 36 के आराजी खसरा नम्बर 632 रकबा 3.7200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 635 रकबा 0.5200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 636 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 650 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2382/634 रकबा 0.4000 हैक्टेयर वाके ग्राम महलां तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर को सिवायचक घोषित किया जाता है। तहसीलदार मौजमाबाद को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार निर्णय राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11/01/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू जिला जयपुर राज0।